



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128921

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 6193 वर्ष 2026

विमल राजवंशी और 5 अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : अनीश कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : दिनेश कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री अनीश कुमार सिंह, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र, और राज्य की ओर से पेश ए.जी.ए.. श्री बृजेश कुमार द्विवेदी की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

2. यह अपील अपीलकर्ताओं ने इसलिए दायर की है ताकि इस अपील को मंजूरी मिल सके और सत्र वाद संख्या 2034/2025 (स्टेट बनाम विमल राजवंशी और अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द किया जा सके। यह केस, मुकदमा अपराध संख्या 708/2024 (पुलिस स्टेशन कंकरखेड़ा, जिला मेरठ) से जुड़ा है, जिसमें बी.एन.एस. की धारा 318(4), 316(2), 115(2), 352 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(व) और 3(1)(ध) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसमें 30.01.2025 की चार्जशीट और मेरठ के एससी/एसटी एक्ट के स्पेशल जज द्वारा 9.12.2025 को पारित संज्ञान लेने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई है; यह मामला मेरठ के एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में लंबित है।

3. अपील करने वालों के अधिवक्ता का कहना है कि अपील करने वालों ने अपने खिलाफ चल रही पूरी कार्यवाही और 9.12.2025 के समन आदेश को चुनौती दी है। वे आगे कहते हैं कि असल में इस मामले में अपील करने वालों पर झूठे आरोप लगाए गए थे और जांच के दौरान जब उन्होंने इस न्यायालय में आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2744/2025 दायर की, तो मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 14.2.2025 के आदेश से मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया (जो पेपर बुक के पेज 76 पर दिया गया है)। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्षों ने अपना विवाद सुलझा लिया और इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के सामने उनके बीच समझौता हो गया (जो पेपर बुक के पेज 79 पर दिया गया है)।

4. इसके बाद वे कहते हैं कि इस न्यायालय के मीडिएशन सेंटर में पक्षों के बीच 30.3.2025 को हुए समझौते को देखने से यह साफ है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि इस मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया जाए।

5. इसके बाद वे कहते हैं कि अपील करने वाले पक्ष और दूसरी पक्ष (संख्या 2) के बीच मीडिएशन सेंटर में 30.3.2025 को समझौता हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से 30.4.2026 को अपील करने वालों की रिट याचिका को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि जांच पूरी हो चुकी थी और उस समय 30.3.2025 के समझौते के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकी थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. वे आगे कहते हैं कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले का संज्ञान लिया गया है और चूंकि दोनों पक्षों ने मेडिएशन सेंटर में मामले को लेकर विधिवत समझौता कर लिया है, इसलिए अपील करने वालों के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

7. इसके बाद उन्होंने कहा कि यह मामला एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों से जुड़ा है, जो एक स्पेशल एक्ट है। लेकिन, **रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एससीसी 635** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को देखते हुए, एससी/एसटी मामले की कार्यवाही को भी समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए.. ने इस अनुरोध का विरोध तो किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि मध्यस्थता केंद्र के समक्ष दोनों पक्षों ने अपना विवाद सुलझा लिया है। अपीलकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, राज्य को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि 30.3.2025 के समझौते के आधार पर उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

9. प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि 30.3.2025 को मध्यस्थता केंद्र के समक्ष दोनों पक्षों ने अपना विवाद सुलझा लिया है और अब दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद लंबित नहीं है। प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

10. मैंने दोनों पक्षों से बात की और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इस अपील के माध्यम से अपीलकर्ताओं ने 9.12.2025 के समन आदेश और उनके विरुद्ध लंबित कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी है कि दोनों पक्षों ने अपना मामला सुलझा लिया है और इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में 30.3.2025 को दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो चुका है।

12. रिकॉर्ड से पता चलता है कि मामले की जांच के दौरान, इस न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने मामले को मीडिएशन सेंटर भेजा था। मीडिएशन सेंटर में 30.3.2025 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 इस मामले से जुड़ी कार्यवाही वापस लेने के लिए सहमत हो गई।

13. इसके अलावा, हालांकि यह मामला एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों से जुड़ा है (जो एक स्पेशल एक्ट है), लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 'राम अवतार' (ऊपर बताया गया) मामले में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि उचित मामलों में एससी/एसटी एक्ट से जुड़ी कार्यवाही को भी यह न्यायालय रद्द कर सकता है। अपीलकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि 30.3.2025 के समझौते के आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

14. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर, संबंधित न्यायालय में अपीलकर्ताओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

24 जून, 2026

कुमार मनीष

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।